


२/४/२२

पञ्जाब की सरकार। कृषि का कानून
न्यायालय के द्वारा बार-बार रुक रुक
कर पुनर्जांच करने पर ना तो कानून
ना ही कानून कानून न्यायालय के
लेखक उपस्थित हों। इन्हें पाठ कर
वाजिरी इन्हें फेरी में खरिज किया
जाता है। पञ्जाब की सरकार द्वारा
दस्तावेज नम्बर ले कर हो।


(शिवका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

